राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 19 / 2023

सरोज देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, सह प्रशासनिक सचिव(प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आसींद, जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नवीन मोहन व्यास, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर बोरेला, पंचायत समिति, आसींद जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति माण्डल जिला भीलवाड़ा किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 08.03.2021 के द्वारा उसे पंचायत समिति आसींद में कार्यग्रहण करने का निर्देश दिया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 10.03.2021 को कार्यग्रहण किया। दिनांक 14.10.2022 एवं 08.11.2022 को अपीलार्थी के विरूद्ध दो एफ आई आर दर्ज कराई गई। जिसके कारण अपीलार्थी का माण्डल भीलवाडा स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दो वर्ष पूर्ण होने से पहले ही स्थानान्तरण कर दिया गया जो नियम विरुद्ध है। जबकि दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण किया जाना नीति एंव नियमों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2023 व 13.01.2023 को अपीलार्थी की

सीमा तक अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य